



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 4 जून, 2026

ज्येष्ठ 14, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्या 117/24-पी-2-2026

लखनऊ, 27 मई, 2026

अधिसूचना

आदेश

प0आ0-286

चूँकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 मास की अवधि के लिए 1-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 2-उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ, 3-उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 4-कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कम्पनी, केस्को, 5-मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ, 6-पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी, 7-पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ, 8-दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा, और 9-U.P. Renewable & EV Infrastructure Ltd., लखनऊ के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रेतर निर्देश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाय।

आज्ञा से,

राजकुमार-I,

विशेष सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 117/XXIV-P-2-2026, dated May 27, 2026 :

No. 117/XXIV-P-2-2026

Dated Lucknow, May 27, 2026

WHEREAS, the State Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient to do so;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P. Act no. XXX of 1966), the Governor is pleased to prohibit for a period of six months from the date of publication of this order in the *Gazette*, strikes in all services under the 1. Uttar Pradesh Power Corporation Limited, Lucknow, 2. Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Lucknow, 3. Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited, Lucknow, 4. Kanpur Electricity Supply Company (KESCO), 5. Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Lucknow, 6. Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Varanasi, 7. Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Meerut, 8. Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Agra, and 9. UP Renewable & EV Infrastructure Ltd., Lucknow.

The Governor is further pleased to direct under sub-section (2) of the Section 3 of the said Act that this order shall be published in the *Gazette*.

By order,
RAJKUMAR-I,
Vishesh Sachiv.